

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

कमांक: एफ. 2(1)साप्र/2/2014

जयपुर, दिनांक 11 नवम्बर, 2014

-: आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित किये जाते हैं :-


क्र. सं.	वरियता संख्या	नाम व पद	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृति दिनांक
1	2	3	5	6
1.	8/2010	श्री दौलतराम वरियानी मुख्य लेखाधिकारी मुख्य नगर नियोजक जयपुर	11/50, गांधीनगर, जयपुर	30.9.2015
2.	2/2012	डॉ. राजमणि सहायक आचार्य सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	2/4, हीराबाग, जयपुर (2/5 हीराबाग के स्थान पर)	31.3.2034
3.	12/2012	डॉ. अमित जैन सहायक आचार्य, सर्जरी सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	6/3, हीराबाग, जयपुर (2/6 हीराबाग के स्थान पर)	29.2.2040
4.	29/2012	डॉ. रामगोपाल यादव सहायक आचार्य, कार्डियोलॉजी, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	4/2, हीराबाग, जयपुर	29.2.2024
5.	29/2013	श्री अविनाश पंवार, प्रवक्ता राजकीय रामचन्द्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर	5/6, हीराबाग, जयपुर	31.1.2034
6.	36/2013	डॉ. आरुषी जैन सहायक आचार्य, शरीर रचना विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	6/5, हीराबाग, जयपुर	31.3.2041

शर्तें:-

- आवास का कब्जा आवास आवंटन के 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृति उपरान्त आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी - चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:-
 - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।


2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(महेन्द्र कुमार खीची)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (भवन) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
6. नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
7. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
8. प्राचार्य, राजकीय रामचन्द्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर।
9. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
10. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0अभि0वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर/हीराबाग जयपुर।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित कराये साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावे।
12. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
13. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावे।
14. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर/हीराबाग जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-7 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवे। कृपया आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावे।
15. क्रम संख्या 2 व 3 पर अंकित आवंटी अधिकारी परिवर्तित आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास शीघ्र रिक्त कर इस विभाग को सूचित करावे।
16. संबंधित अधिकारीगण।
17. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
18. प्रबन्धक, सर्किट हाउस जयपुर/ट्रांजिट हॉस्टल, गांधीनगर, जयपुर।
19. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
20. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव